राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.4(12)उद्योग/1/2022 **जयपुर, दिनांक** 04 OCT 2023

लोक सूचना

ग्राम दूदली, रोहट, सिणगारी, डूंगरपुर, निम्बली ब्राहम्णान, तहसील रोहट, जिला पाली में जोधपुर–पाली–मारवाड औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (JPMIA RDA) द्वारा राज्य में केन्द्र प्रवर्तित डीएमआईसी परियोजना के तहत् विकसित किये जा रहे जोधपुर–पाली–मारवाड औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी की स्थापना हेतु प्रथम चरण में कुल 1086.4494 भूमि के अधिग्रहण हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा की गयी अनुशंषा तथा SIA रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर यह सुनिश्चित है कि:–

i. प्रश्नगत अवाप्ति 1086.4494 हैक्टेयर की प्रस्तावित की गई है, जो न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप है।
ii. प्रश्नगत अवाप्ति से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम है, इससे कम को विस्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।
iii. प्रस्तावित भूमि अवाप्ति का प्रयोजन केन्द्र प्रवर्तित डीएमआईसी परियोजना के तहत् विकसित किये जा रहे जोधपुर–पाली–मारवाड औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी की स्थापना हेतु किया जा रहा है। यह अवाप्ति पूर्णतया सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं लोकहित में है।
iv. सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भविष्य में होने वाले सम्भाव्य फायदे बहुत अधिक हैं।
v. ऐसा कोई पूर्व में अप्रयुक्त क्षेत्र पास में स्थित नहीं है।

अतः प्रश्नगत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुशंषा की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. **जिला कलक्टर**, पाली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लोक सूचना को जिला कलक्टर कार्यालय की **सरकारी वेबसाइट** पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
2. **मुख्य कार्यकारी** अधिकारी, जेपीएमआईए–आरडीए, जयपुर।
3. **उपखण्ड** अधिकारी, रोहट, जिला पाली।
4. तहसीलदार, रोहट, पाली, राजस्थान।

5. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेपीएमआईए–आरडीए, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लोक सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करवाते हुए प्रभावित क्षेत्रों में जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पानगी एवं प्रचार–प्रसार करवाया जाये।
6. ग्राम पंचायत रोहट/सिणगारी/खाण्डी, तहसील रोहट, जिला पाली, राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव